जगद्गुरु श्रीगौरकिशोर दास बाबाजी महाराज

(शिक्षा समन्वित जीवनी)

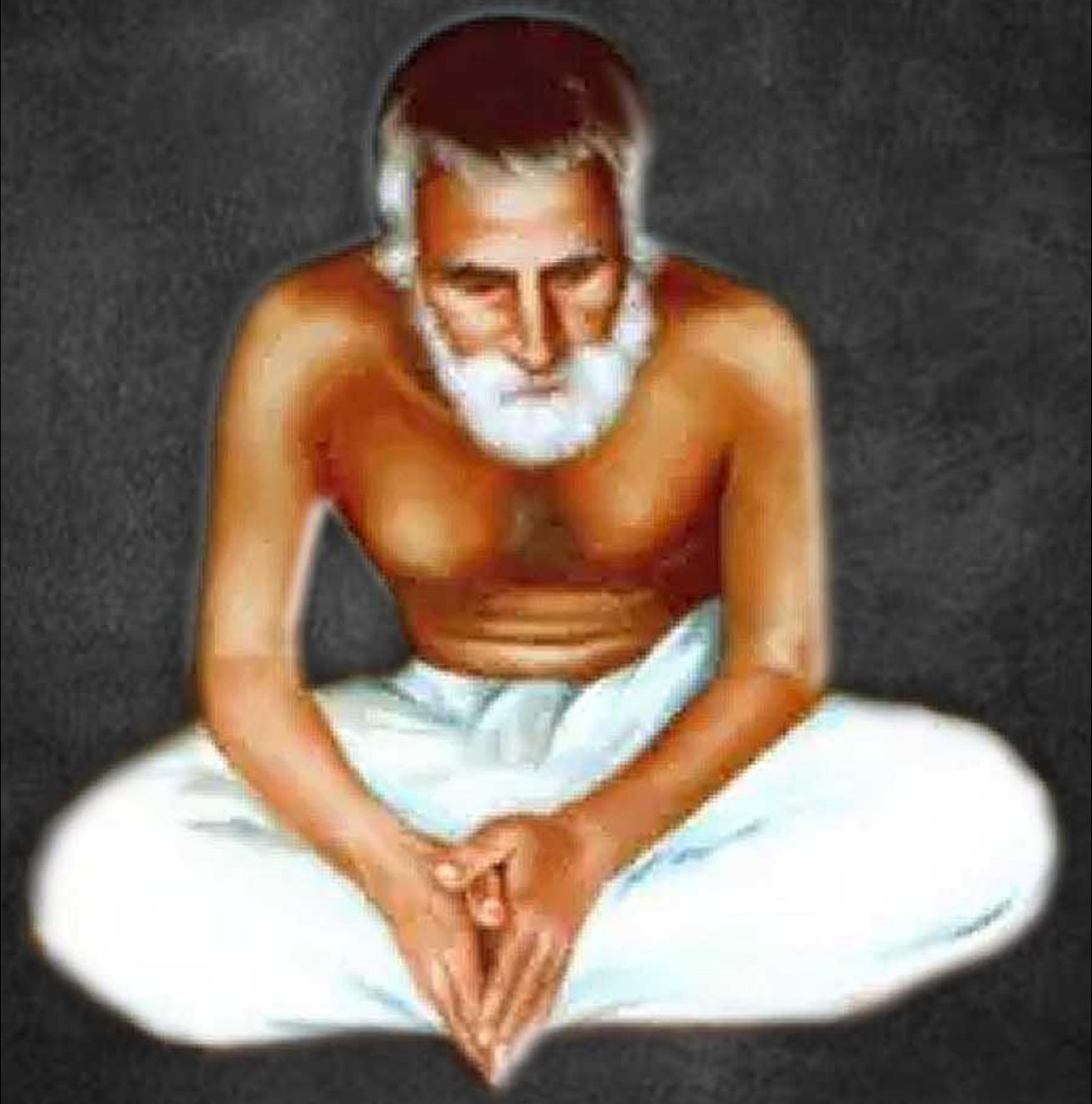

श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर जी की दिव्य लेखनी से संकलित

SGD

नित्यलीला में प्रवेश

श्रीलगुरुदेव

17 नवम्बर, 1915 (30 कार्तिक, बंगाब्द 1322), की शेष रात्रि को ॐ विष्णुपाद श्रील गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज नित्यलीला में प्रवेश कर गये। ॐ विष्णुपाद श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती प्रभुपाद श्रीधाम मायापुर से चलकर देर रात में नाव पार करके, कुलिया में, रानी की धर्मशाला में – जहाँ श्रील बाबाजी महाराज रहते थे, वहाँ उपस्थित हुए। श्रील प्रभुपाद नंगे

पैर थे, उन्होंने एक हरे रंग की चादर ओढ़ रखी थी। चूंकि चातुर्मास्य व्रत चल रहा था इसलिए उनकी दाड़ी और केश बढ़े हुए थे।

नवद्वीप के विभिन्न आश्रम और अखाड़ों के महान्त (मुखिया) श्रील बाबाजी महाराज के चिदानन्द देह को समाधि प्रदान करने के लिए स्थान को लेकर आपस में भीषण वाद विवाद कर रहे थे। उनका उद्देश्य था कि भविष्य में ऐसे सिद्ध महापुरुष की समाधि को लेकर धन इकट्ठा करने का एक साधन बनाया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने

इन सब तथाकथित वेषधारी महान्तों की इस प्रकार की अवैध चेष्टा का कड़ा विरोध किया। अशान्ति फैलने के डर से नवद्वीप के दरोगा बाबू उस स्थान पर उपस्थित हो गए थे। डिटैक्टिव डिपार्टमेंट (जासूसी विभाग) के तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर – राय बहादुर श्रीयुत् यतिन्द्रनाथ सिंह महाशय उस समय नवद्वीप के दरोगा थे।

बहुत वाद विवाद के बाद वेषधारियों ने कहा— 'सरस्वती जी सन्यासी नहीं हैं, इसलिए उन्हें एक त्यागी बाबाजी महाराज को समाधि

देने का अधिकार नहीं है।' इसके उत्तर में श्रील प्रभुपाद जी ने गरजते हुए कहा, — 'मैं परमहंस बाबाजी महाराज जी का एकमात्र शिष्य हूँ। यद्यपि मैंने संन्यास ग्रहण नहीं किया है किन्तु मैं आकुमार ब्रह्मचारी हूँ और श्रील बाबाजी महाराज की कृपा से किसी मर्कट वैरागी (बन्दर) की तरह असदाचार - परायण और व्यभिचारी नहीं हूँ। यह बात मैं, श्रील बाबाजी महाराज की पादुका को धारण करने के बल से दम्भ सहित कह सकता हूँ। यहाँ उपस्थित व्यक्तियों में से यदि कोई वास्तविक निर्मल - चरित्र वाला त्यागी व्यक्ति है तो वह श्रील बाबाजी महाराज को

समाधि दे सकता है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पिछले एक साल में, या छह महीनों में, तीन महीनों में, एक महीने में, या कम से कम पिछले तीन दिनों में जिसने अवैध स्त्रीसंग नहीं किया है, वह इस चिदानन्द देह को स्पर्श कर सकता है। यदि किसी और ने इसका स्पर्श किया तो उसका सर्वनाश हो जाएगा।' यह बात सुनकर दरोगा यतिन्द्रनाथ महाशय ने कहा, — 'इसका प्रमाण कैसे मिलेगा ?' श्रील प्रभुपाद ने कहा, — 'मैं इनकी बात पर ही विश्वास कर लूँगा।' श्रील प्रभुपाद की इस बात के बाद वहाँ उपस्थित बाबाजी वेषधारी व्यक्ति एक एक करके पीठ दिखाकर

जाने लगे। यह देखकर दरोगा जी अवाक् रह गये।

वहाँ कोई-कोई श्रील प्रभुपाद को कहने लगा — बाबाजी महाराज ने स्वयं कहा था कि उनके शरीर को श्रीधाम - नवद्वीप के रास्तों से घसीटते हुए ले जाया जाय ताकि वह श्रीधाम की रज में अभिषिक्त में हो सकें। अतएव बाबाजी महाराज के इस आदेश की पालना होनी चाहिए।' श्रील प्रभुपाद ने तब कहा, — 'मेरे गुरुदेव ! जिन्हें स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र अपने कन्धों पर, मस्तक पर धारण करके अपने को धन्य मानते हैं,

उन्होंने बहिर्मुख लोगों की दाम्भिकता को विनाश करने के लिए दीनतापूर्वक यह सब बातें कहीं थी। हम मूर्ख, अज्ञानी, अपराधी होने पर भी उनकी बातों का वास्तविक तात्पर्य समझने में भूल नहीं करेंगे। भगवान श्रीचैतन्य महाप्रभु जी ने श्रील हरिदास ठाकुर के अप्रकट होने के बाद उनके चिदानन्द - देह को गोद में उठाकर नृत्य किया था। कितना सम्मान प्रदान किया था उन्हें! इसलिए हम भी श्रीमन् महाप्रभु के पादपद्मों का अनुसरण करते हुए श्रील बाबाजी महाराज के चिदानन्द देह को मस्तक पर वहन करेंगे।'

श्रील प्रभुपाद ने कुलिया के नये टापू पर 17 नवम्बर, 1915 (1 अग्रहायण), उत्थान एकादशी तिथि को दोपहर के समय, 'संस्कार दीपिका' के विधानानुसार अपने हाथों से श्रील बाबाजी महाराज को समाधि प्रदान की। समाधि देने के समय यशोहर जिला के लोहागड़ा - वासी 'अ*** पोद्दार ने कहा था कि बाबाजी महाराज की समाधि के लिए प्रदत्त स्थान पर पूरी तरह से उनका (श्रील प्रभुपाद का) ही मालिकाना हक होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उस बात को भूलकर श्रील बाबाजी महाराज के चिन्मय समाधि - स्थान को उन्होंने विषयों का अन्यतम

स्थान यहाँ तक कि नाना प्रकार अवैध अनाचारों के अड्डे के रूप में बदल कर और श्रील गोरकिशोर दास बाबाजी महाराज के पार्षद के श्रीचरणों में दाम्भिकता प्रदर्शन कर नाना प्रकार के अपराध करना आरम्भ कर दिया।

कुछ वर्षों के पश्चात् नित्यलीला - प्रविष्ट श्रील बाबाजी महाराज की इच्छा से समाधि स्थान क्रमश: गंगा के प्रवाह के नीचे अन्तर्हित होने लगा। यह सन् 1932 (बंगाब्द 1339) की घटना है। भगवती (भागीरथी जी के प्रबल वेग

से पश्चिमी तट कट कटकर उसके प्रवाह में विलीन हो रहा था। चारों ओर पानी ही पानी दीख रहा था। उफनती हुई गंगा के प्रवाह में पश्चिमी तट पर स्थित श्रील बाबाजी महाराज की समाधि बह जाने वाली है — यह देखकर श्रील प्रभुपाद ने अपने अंतरंग सेवक श्रीविनोदविहारी ब्रह्मचारी (श्रील भक्तिप्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज) को निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार से उस समाधि को सम्पूर्ण रूप से श्रीधाम मायापुर में, श्रीराधाकुण्ड के तट पर लाकर पुन: प्रतिष्ठित किया जाय। श्रील विनोदविहारी प्रभु अपने सतीर्थ बन्धु श्रीपाद नरहरि सेवाविग्रह प्रभु और

अन्यान्य गुरु सेवकों की सहायता से कई दिनों तक दिन-रात अथक परिश्रम के पश्चात् उस समाधि को सुरक्षित, अखण्ड रूप में, संकीर्तन के साथ, श्रीचैतन्य मठ में ले आये। यह देखकर श्रील प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से समाधि स्थल खोदने का कार्य आरम्भ किया। उनके इस कार्य में उनके प्रमुख सेवकों — श्रीपाद कुँजबिहारी विद्याभूषण (श्रीमद् भक्ति विलास तीर्थ महाराज), श्रीअप्राकृत भक्तिसारंग गोस्वामी, श्रीमद् भक्तिरक्षक श्रीधर महाराज, श्रीनरहरि सेवाविग्रह प्रभु तथा श्रीविनोदबिहारी 'कृतिरत्न' प्रभु

प्रमुख सेवकों ने उनकी सहायता की। समाधि का कार्य पूरा होने पर श्रील प्रभुपाद अपने गुरुदेव की विरह वेदना से अत्यन्त कातर हो गये। उस समय उनके विप्रलम्भ भावाविष्ट मुखमण्डल का दर्शन कर उनके अंतरंग सेवकवृन्द भी भावविहल हो गये। सभी के नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी।

श्रील बाबाजी महाराज की अप्रकट लीला के समय कुलिया के उच्छृंखल दुर्नीतिपरायण बाबाजी लोगों ने जिस प्रकार विघ्न बाध एँ पहुंचाई थीं, उन्हीं बाबाजी लोगों ने

इस बार भी समाधि को श्रीधाम मायापुर में स्थानान्तरण करते समय उसी प्रकार घोर विरोध किया और विघ्न-बाधाएं पहुंचाई । किन्तु इसे रोक नहीं सकने पर कृष्णनगर कोर्ट में श्रीविनोदबिहारी ब्रह्मचारी के नाम से समाधि को हटाने में प्रधान आसामी (मुख्य अभियुक्त) के रूप में मुकद्दमा दायर कर दिया। यह मुकद्दमा एक ईसाई धर्मावलम्बी की अदालत में पेश हुआ। न्यायाधीश ने इस केस को बड़ी गम्भीरता से लिया। ईसाई धर्म के अनुसार किसी समाधि को उसके मूल स्थान से हटाना एक अक्षम्य अपराध होता है और उसके लिए पाश्चात्य देशों में

बड़ी कड़ी सजा होती है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों का तर्क-वितर्क सुनकर आसामी (अभियुक्त) को कड़ी सजा देने का मन बना लिया था। ऐसा देखकर श्रीविनोदबिहारी प्रभु ने अन्त में न्यायाधीश से बड़ी गम्भीरता से कहा — "महाशय जी! आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग ईसाई धर्म के अनुयायी नहीं हैं। हम लोग भारतीय वैदिक रीति-नीति अपनाने वाले शुद्ध वैष्णव हैं। वैष्णव धर्म के अनुसार विशेष परिस्थितियों में विशेष कारणों से समाधि को स्थानान्तरित किया जा सकता है, इसके हज़ारों प्रमाण हैं।" यह सुनते ही न्यायाधीश महोदय का

विचार बदल गया। उन्होंने आसामी को बिना किसी आरोप के मुक्त कर दिया। मुकद्दमे में विजय हुई है—यह सुनकर श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। वर्तमान में ब्रजपत्तन, श्रीचैतन्य मठ, मायापुर में, श्रीराधाकुण्ड के नज़दीक ही श्रील गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज का एक भव्य समाधि मन्दिर विद्यमान है।

श्रीलगुरुदेव